

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-19/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० सौम्या, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (सर्जन), अनुमंडल अस्पताल, सोनपुर, सारण द्वारा दिनांक-13.11.2024 से 30.11.2024 तक कुल-18 (अठारह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापंक-1816(25) दिनांक-21.10.2024 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपाजित अवकाश के रूप में स्वीकृत दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / --

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापंक-2/एल-19/2025-

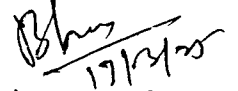
472(2)

पटना, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्क-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण/उपाधीक्षक, कोषागार पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, सोनपुर, सारण/डा० सौम्या, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (सर्जन), अनुमंडल अस्पताल, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।